

व्यय की नई मदे

वित्तीय वर्ष : 2008-09

----- 1 -----

क- विभाग :	निर्वाचन
ख- अनुदान संख्या :	05 निर्वाचन
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	जिला निर्वाचन कार्यालयों हेतु हल्के वाहनों का क्रय
ड.- लेखाशीर्षक :	2015-निर्वाचन,00-,103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण,05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50% के0 पो0),00
	14 — कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय
	2000
	<u>योग</u> <u>2000</u>
च- औचित्य :	जिला निर्वाचन कार्यालयों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन, विधान सभा निर्वाचक नामावलियों एवं फोटो पहचान पत्रों का निरन्तर कार्य एवं नए परिसीमन के आधार पर मतदेय स्थलों आदि के पुनः निर्धारण आदि कार्यों को किये जाने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालयों हेतु वाहन क्रय किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	2000
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	2000

----- 2 -----

क- विभाग :	आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास
ख- अनुदान संख्या :	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के नियंत्रणाधीन आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थापना
ड.- लेखाशीर्षक :	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें,00-,003-प्रशिक्षण,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना,01-राज्य प्रशासनिक अकादमी में संचालित नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट योजना
	20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता
	600
	<u>योग</u> <u>600</u>

च- औचित्य :

भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ के संचालन हेतु प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों का भुगतान भारत सरकार तथा तकनीकी सहायकों के पदों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	600
योग (अंकों में) :	600

----- 3 -----

क- विभाग :

सतर्कता विभाग

ख- अनुदान संख्या :

06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनेत्तर

घ- विषय :

सतर्कता अधिष्ठान में नियुक्त पुलिस अधीक्षक हेतु वाहन क्रय

ड.- लेखाशीर्षक :

2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें,00-,104-सतर्कता,04-सतर्कता अधिष्ठान,00

14 — कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय 400

योग 400

च- औचित्य :

सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय में नियुक्त पुलिस अधीक्षक के शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु नये वाहन का क्रय किया जाना है इस हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में निम्नलिखित धनराशि की व्यवस्था आवश्यक है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	400
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	400

----- 4 -----

क- विभाग :

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

ख- अनुदान संख्या :

06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन

ड.- लेखाशीर्षक :

2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत,05-आपदा राहत निधि,800-अन्य व्यय,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें,03-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (75 प्रतिशत के0स0)

42 — अन्य व्यय 10000

योग 10000

च- औचित्य :

उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

5

क- विभाग :

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

ख- अनुदान संख्या :

06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि

ड- लेखाशीर्षक :

2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत,05-आपदा राहत निधि,800-अन्य व्यय,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें,04-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि

42	— अन्य व्यय	20000
		<u>योग</u> 20000

च- औचित्य :

उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के गठन की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	20000
योग (अंकों में) :	20000

6

क- विभाग :

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

ख- अनुदान संख्या :

06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

जनपद आपदा प्रतिक्रिया निधि

ड- लेखाशीर्षक :

2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत,05-आपदा राहत निधि,800-अन्य व्यय,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें,05-जनपद आपदा प्रतिक्रिया निधि (75 प्रतिशत के0स0)

42	— अन्य व्यय	32500
		<u>योग</u> 32500

च-	औचित्य :	उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत जनपद आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया जाना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की व्यवस्था की जानी है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	32500
	योग (अंकों में) :	32500

----- 7 -----

क-	विभाग :	आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास
ख-	अनुदान संख्या :	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	जनपद आपदा न्यूनीकरण निधि
ड-	लेखाशीर्षक :	2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत,05-आपदा राहत निधि,800-अन्य व्यय,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें,06-जनपद आपदा न्यूनीकरण निधि
		42 — अन्य व्यय
		25000
		<u>योग 25000</u>

च-	औचित्य :	उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत जनपद आपदा न्यूनीकरण निधि का गठन किया जाना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	25000
	योग (अंकों में) :	25000

----- 8 -----

क-	विभाग :	होमगार्ड
ख-	अनुदान संख्या :	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ-	विषय :	होमगार्ड जिला प्रशिक्षण केन्द्र के अनावासीय भवन कानिर्माण
ड-	लेखाशीर्षक :	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,60- अन्य भवन,051-निर्माण,10- जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्डस गढ़वाल मण्डल श्रीनगर के अनावासीय भवन का निर्माण,00
		24 — वृहत् निर्माण कार्य
		12805
		<u>योग 12805</u>

च-	औचित्य :	श्रीनगर गढवाल के जिला होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र के अनावासीय भवन का निर्माण कराया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	12805
	योग (अंकों में) :	12805

----- 9 -----

क-	विभाग :	वाणिज्य कर
ख-	अनुदान संख्या :	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ-	विषय :	वाणिज्य कर मुख्यालय में एडिशनल कमिश्नर (लेखा) हेतु वाहन क्रय ।
ड.-	लेखाशीर्षक :	2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर,00-,001-निदेशन एवं प्रशासन,03-अधिष्ठान,00
		14 — कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय
		500
		<u>योग 500</u>
च-	औचित्य :	वाणिज्य कर मुख्यालय में सृजित एडिशनल कमिश्नर (लेखा) को शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु एक वाहन का क्रयकिया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	500
	अनावर्तक :	0
	योग (अंकों में) :	500

----- 10 -----

क-	विभाग :	मनोरंजन
ख-	अनुदान संख्या :	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ-	विषय :	जिला मनोरंजन कर अधिकारी हेतु वाहन का क्रय
ड.-	लेखाशीर्षक :	2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क,00-,101-संग्रहण प्रभार -- मनोरंजन कर,03-मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान,00
		14 — कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय
		500
		<u>योग 500</u>

च- औचित्य :

देहरादून में मनोरंजन कर विभाग में प्रवर्तन कार्यो एवं निरीक्षण कार्यो के सम्पादन हेतु वाहन क्रय किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	500
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	500

----- 11 -----

क- विभाग :

ऊर्जा

ख- अनुदान संख्या :

07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

ऊर्जा संरक्षण निधि हेतु अनुदान

ड.- लेखाशीर्षक :

2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क,00-,103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क,04-ऊर्जा संरक्षण निधि हेतु अनुदान,00

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5000
	योग	5000

च- औचित्य :

ऊर्जा के संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण निधि का गठन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	5000
योग (अंकों में) :	5000

----- 12 -----

क- विभाग :

सचिवालय

ख- अनुदान संख्या :

07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनेत्तर

घ- विषय :

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान की स्थापना

ड.- लेखाशीर्षक :

2052-सचिवालय-सामान्य सेवार्ये,00-,090-सचिवालय,11-सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान,00

01	— वेतन	1244
02	— मजदूरी	10
03	— महंगाई भत्ता	952
04	— यात्रा व्यय	50
06	— अन्य भत्ते	109
07	— मानदेय	10
08	— कार्यालय व्यय	75
09	— विद्युत देय	50
10	— जलकर / जल प्रभार	10
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000
13	— टेलीफोन पर व्यय	50
14	— कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1000
15	— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1000
18	— प्रकाशन	25
22	— आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	10
26	— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	800
27	— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	30
42	— अन्य व्यय	10
44	— प्रशिक्षण व्यय	100
45	— अवकाश यात्रा व्यय	1
46	— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500
47	— कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50
48	— महंगाई वेतन	622
	योग	8558

च- औचित्य :

सचिवालय कार्मियों के साथ-साथ अन्य विभाग के समूह ग व घ के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान की स्थापना किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	5352
अनावर्तक :	3206
योग (अंकों में) :	8558

क- विभाग :

वित्त

ख- अनुदान संख्या :	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनेत्तर
घ- विषय :		तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण
ड- लेखाशीर्षक :		2052-सचिवालय-सामान्य सेवार्ये,00-,091-संलग्न कार्यालय,11-तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ,00
	07	— मानदेय 200
	11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई 50
	16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवार्ये के लिए भुगतान 200
	46	— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 100
	47	— कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय 50
		योग 600

च- औचित्य : वित्त विभाग में गठित तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	600
योग (अंकों में) :	600

----- 14 -----

क- विभाग :	कोषागार
ख- अनुदान संख्या :	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्ये
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	प्रदेश के कोषागारों में आईपीएओ योजना लागू किये जाने हेतु सहायक कोषाधिकारी के पदों का सृजन

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	सहायक कोषाधिकारी	17	7450-225-11500

ड- लेखाशीर्षक :		2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन,00-,097-खजाना स्थापना,03-कोषागार अधिष्ठान,00
	01	— वेतन 2580
	03	— महंगाई भत्ता 1587
	06	— अन्य भत्ते 200
	08	— कार्यालय व्यय 2940
	48	— महंगाई वेतन 1290
		योग 8597

च- औचित्य :

प्रदेश के कोषागारों में आईपीएओ योजना लागू किये जाने के उपरान्त 17 कोषागारों में एक-एक सहायक कोषाधिकारी के पद सृजन एवं उन पर होने वाले व्यय भार को वहन करने हेतु बजट व्यवस्था आवश्यक है अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	8597
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	8597

----- 15 -----

क- विभाग :	कोषागार
ख- अनुदान संख्या :	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	14 उपकोषागारों में अनुसेवक के पद का सृजन

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	अनुसेवक	14	2550-55-3200

ड- लेखाशीर्षक :

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन,00-,097-खजाना स्थापना,03-कोषागार अधिष्ठान,00

01	— वेतन	100
03	— महंगाई भत्ता	70
06	— अन्य भत्ते	40
48	— महंगाई वेतन	50
		<u>योग</u> 260

च- औचित्य :

राज्य के कालाह्वगी (नैनीताल), धारचूला, मुनस्यारी (पिथौरागढ़), बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा (उधमसिंह नगर), मसूरी (देहरादून), चमोली (चमोली-गोपेश्वर), भटवाडी, डुण्डा, राजगढी (उत्तरकाशी) एवं थलीसैण (पौडी) के उपकोषागारों में अनुसेवक के एक-एक पद का सृजन किया जाना आवश्यक है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	260
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	260

----- 16 -----

क- विभाग :	कोषागार
ख- अनुदान संख्या :	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर

घ- विषय : प्रदेश के समस्त कोषागारों के बीच इन्टर कनेक्टिविटी स्थापित करना

ड- लेखाशीर्षक : 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन,00-,097-खजाना स्थापना,03-कोषागार अधिष्ठान,00

46	— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5000
47	— कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5000

योग 10000

च- औचित्य : वर्तमान में कोषागारों द्वारा फ्लोपी, टैप ड्राईव तथा डेट ड्राईव आदि द्वारा डाटा मगया जा रहा है जिससे डाटा के करप्ट होने की ज्यादा सम्भावना रहती है तथा धन का भी अपव्यय होता है। इससे बचने तथा शुद्ध डाटा शीघ्र प्राप्त करने हेतु समस्त कोषागारों के बीच इन्टरकनेक्टिविटी स्थापित करनी है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

17

क- विभाग : चिकित्सा

ख- अनुदान संख्या : 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत

घ- विषय : केश विहीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति

ड- लेखाशीर्षक : 2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ,01-सिविल,800-अन्य व्यय,07-केश विहीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति,00

42	— अन्य व्यय	2500
----	-------------	------

योग 2500

च- औचित्य : राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को स्मार्ट कार्ड से केश विहीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की योजना लागू की जानी है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में पेंशनर्स के लिए इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	2500
योग (अंकों में) :	2500

18

क- विभाग : नियोजन

ख- अनुदान संख्या :	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनागत
घ- विषय :		नियोजन विभाग के अन्तर्गत पीपीपी प्रकोष्ठ का गठन
ड.- लेखाशीर्षक :		3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें,00-,092-अन्य कार्यालय,99-नियोजन विभाग के अन्तर्गत पीपीपी प्रकोष्ठ का गठन,00
	20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता
		2000
		<u>योग</u> <u>2000</u>
च- औचित्य :		नियोजन विभाग के अन्तर्गत प्लानिंग के बहुत से कार्य पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की परियोजना (पीपीपी मोड) के अन्तर्गत कराया जाना है जिस हेतु नियोजन विभाग के अन्तर्गत पीपीपी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)		
आवर्तक :		0
अनावर्तक :		2000
योग (अंकों में) :		2000

----- 19 -----

क- विभाग :		कोषागार
ख- अनुदान संख्या :	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनेत्तर
घ- विषय :		कोषागार कोटद्वार के कोषागार भवन का निर्माण तथा कोषागार बागेश्वर के अधिकारियों/ कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण
ड.- लेखाशीर्षक :		4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,80- सामान्य,800-अन्य भवन,06-कोषागार / उपकोषागार के निर्माण,00
	24	— वृहत् निर्माण कार्य
		35673
		<u>योग</u> <u>35673</u>
च- औचित्य :		कोषागार कोटद्वार का कार्यालय वर्तमान में सहस्रील भवन में चल रहा है। तहसील परिसर में कोषागार भवन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा कोषागार बागेश्वर के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)		
आवर्तक :		0
अनावर्तक :		35673
योग (अंकों में) :		35673

क- विभाग :	आबकारी
ख- अनुदान संख्या :	08 आबकारी
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	आबकारी विभाग में प्रवर्तन कार्य हेतु पाँच वाहनों का क्रय
ड.- लेखाशीर्षक :	2039-राज्य उत्पादन शुल्क,00-,001-निदेशन तथा प्रशासन,03-अधिष्ठान,00
	14 — कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय
	2500
	<u>योग 2500</u>
च- औचित्य :	मदिरा की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु गठित प्रवर्तन कार्य हेतु 05 नये वाहनों का क्रय किया जाना आवश्यक है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	2500
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	2500

क- विभाग :	लोक सेवा आयोग
ख- अनुदान संख्या :	09 लोक सेवा आयोग
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	लोक सेवा आयोग हरिद्वार में परीक्षा भवन, कार्यालय भवन, आवासीय भवन एवं लाईब्रेरी भवन का निर्माण
ड.- लेखाशीर्षक :	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,60- अन्य भवन,051-निर्माण,03- लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण,00
	24 — वृहत् निर्माण कार्य
	10000
	<u>योग 10000</u>
च- औचित्य :	लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए समय-समय पर स्कूल/कालेज उपलब्ध न होने की दशा में 1500 परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा भवन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु 6 आवासीय भवन, चार सदस्यों हेतु कार्यालय भवन तथा लाईब्रेरी भवन के निर्माण की आवश्यकता है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 22 -----

- क- विभाग : पुलिस
- ख- अनुदान संख्या : 10 पुलिस एवं जेल
- ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनेत्तर
- घ- विषय : देहरादून में देख रेख पुलिस चौकी किशनपुर की स्थापना

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	हेड कान्सटेबल	1	3200-85-4900
2	कान्सटेबल	4	3050-75-4590

- ड.- लेखाशीर्षक : 2055-पुलिस,00-,109-जिला पुलिस,03-जिला पुलिस (मुख्य),00

01	— वेतन	229
03	— महंगाई भत्ता	97
06	— अन्य भत्ते	42
42	— अन्य व्यय	35
48	— महंगाई वेतन	115
योग		518

- च- औचित्य : देहरादून में किशनपुर में एक देख रेख चौकी का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

- छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	483
अनावर्तक :	35
योग (अंकों में) :	518

----- 23 -----

- क- विभाग : पुलिस
- ख- अनुदान संख्या : 10 पुलिस एवं जेल
- ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनेत्तर
- घ- विषय : हरिद्वार जनपद में बम निरोधक दस्ते हेतु पदों का सृजन

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	उपनिरीक्षक	1	5000-150-8000
2	हैड कान्स्टेबल	7	3200-85-4900
3	हैड कान्स्टेबल (डाग हैण्डलिंग हेतु)	2	3200-85-4900
4	कान्स्टेबल चालक	1	3050-75-4590
5	स्वीपर कम कुक (श्वान हेतु)	1	2550-55-3200

ड.- लेखाशीर्षक :

2055-पुलिस,00-,109-जिला पुलिस,03-जिला पुलिस (मुख्य),00

01	— वेतन	1
03	— महंगाई भत्ता	1
06	— अन्य भत्ते	1
48	— महंगाई वेतन	1
योग		4

च- औचित्य :

हरिद्वार में एक अतिरिक्त बम निरोधक दस्ता हेतु पदों का सृजन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	4
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	4

----- 24 -----

क- विभाग :

पुलिस

ख- अनुदान संख्या :

10 पुलिस एवं जेल

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनेत्तर

घ- विषय :

गंगोत्री रिपोर्टिंग पुलिस चौकी हेतु पदों का सृजन

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	उप निरीक्षक	1	5500-175-9000
2	हैड कान्स्टेबल	1	3200-85-4900
3	कान्स्टेबल	8	3050-75-4590

ड.- लेखाशीर्षक :

2055-पुलिस,00-,109-जिला पुलिस,03-जिला पुलिस (मुख्य),00

01	— वेतन	1
03	— महंगाई भत्ता	1
06	— अन्य भत्ते	1
48	— महंगाई वेतन	1
योग		4

च- औचित्य :

पुलिस विभाग के अन्तर्गत गंगोत्री रिपोर्टिंग पुलिस चौकी हेतु 10 पदों का सृजन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक :	4
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	4

----- 25 -----

क- विभाग :	पुलिस
ख- अनुदान संख्या :	10 पुलिस एवं जेल
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	डाग स्क्वाड हेतु पदों का सृजन

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	कान्सटेबिल चालक	2	3050-75-4590
2	हेड कान्सटेबिल(डाग हैण्डलिंग हेतु)	4	3200-85-4900
3	स्वीकार कम कुक (श्वान हेतु)	2	2550-55-3200

ड- लेखाशीर्षक :

2055-पुलिस,00-,109-जिला पुलिस,11-श्वान दल,00

01	— वेतन	1
03	— महंगाई भत्ता	1
06	— अन्य भत्ते	1
08	— कार्यालय व्यय	1500
25	— लघु निर्माण कार्य	500
42	— अन्य व्यय	100
44	— प्रशिक्षण व्यय	1000
48	— महंगाई वेतन	1

योग 3104

च- औचित्य :

पुलिस विभाग में दो अतिरिक्त डाग स्क्वाड हेतु पदों का सृजन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक :	1504
अनावर्तक :	1600
योग (अंकों में) :	3104

----- 26 -----

क- विभाग :	शिक्षा
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	उत्तराखण्ड राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना

ड.- लेखाशीर्षक :

2202-सामान्य शिक्षा,02-माध्यमिक शिक्षा,108-परीक्षाएं,05-उत्तराखण्ड राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना,00

01	— वेतन	1
03	— महंगाई भत्ता	1
06	— अन्य भत्ते	1
48	— महंगाई वेतन	1

योग **4**

च- औचित्य :

उत्तराखण्ड राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना स्वायत्तशासी संस्था के रूप में गठन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	4
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	4

----- 27 -----

क- विभाग :

शिक्षा

ख- अनुदान संख्या :

11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण

ड.- लेखाशीर्षक :

2202-सामान्य शिक्षा,02-माध्यमिक शिक्षा,109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय,10-कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण,00

01	— वेतन	2500
03	— महंगाई भत्ता	1875
06	— अन्य भत्ते	275
29	— अनुरक्षण	4100
48	— महंगाई वेतन	1250

योग **10000**

च- औचित्य :

बालिका शिक्षा की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं को हाई स्कूल स्तर की शिक्षा दिलाने हेतु चरणवद्ध रूप में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	5900
अनावर्तक :	4100
योग (अंकों में) :	10000

----- 28 -----

क- विभाग :	शिक्षा
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन
ड- लेखाशीर्षक :	2202-सामान्य शिक्षा,03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा,104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता,07-सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन,00
	26 — मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 10000
	42 — अन्य व्यय 10000
	योग 20000
च- औचित्य :	राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर सोसाइटी मोड में बीएड की कक्षाएँ संचालित की जानी हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में प्रारम्भिक व्यय हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	20000
योग (अंकों में) :	20000

----- 29 -----

क- विभाग :	कला एवं संस्कृति
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	संस्कृति निदेशालय हेतु सहायक लेखाधिकारी के पद का सृजन

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	सहायक लेखाधिकारी	1	7450-225-11500

ड- लेखाशीर्षक :	2205-कला एवं संस्कृति,00-,001-निदेशन तथा प्रशासन,03-सांस्कृतिक कार्य निदेशालय--,00
	01 — वेतन 1
	03 — महंगाई भत्ता 1
	06 — अन्य भत्ते 1
	48 — महंगाई वेतन 1
	योग 4

च- औचित्य :	संस्कृति निदेशालय में सहायक लेखाधिकारी के पद का सृजन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
-------------	---

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	4
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	4

----- 30 -----

क- विभाग :	शिक्षा
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण
ड- लेखाशीर्षक :	4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,01-सामान्य शिक्षा,202-माध्यमिक शिक्षा,20-कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण,00
	24 — वृहत् निर्माण कार्य
	10000
	<u>योग 10000</u>
च- औचित्य :	बालिका शिक्षा की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं को हाई स्कूल स्तर की शिक्षा दिलाने हेतु कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 31 -----

क- विभाग :	शिक्षा
ख- अनुदान संख्या :	11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	विकास खण्ड मुख्यालय पर आवासीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु भवन निर्माण कार्य
ड- लेखाशीर्षक :	4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,01-सामान्य शिक्षा,202-माध्यमिक शिक्षा,21-विकास खण्ड मुख्यालय पर आवासीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु भवन निर्माण कार्य,00
	24 — वृहत् निर्माण कार्य
	1
	<u>योग 1</u>

च- औचित्य :

विकास खण्ड मुख्यालय पर विद्यालय में आवासीय इण्टर कालेजों की स्थापना किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	1
योग (अंकों में) :	1

----- 32 -----

क- विभाग :

शिक्षा

ख- अनुदान संख्या :

11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन

ड- लेखाशीर्षक :

4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,01-सामान्य शिक्षा,203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा,13-सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन,00

24	— वृहत् निर्माण कार्य	30000
		<u>योग 30000</u>

च- औचित्य :

राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर सोसाइटी मोड में बीएड की कक्षाएँ संचालित की जानी है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	30000
योग (अंकों में) :	30000

----- 33 -----

क- विभाग :

खेल

ख- अनुदान संख्या :

11 शिक्षा,खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

स्पोर्ट्स कालेज में बालिका छात्रावास भवन का निर्माण

ड- लेखाशीर्षक :

4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम,102-खेलकूद स्टेडियम,12-स्पोर्ट्स कालेज में बालिका छात्रावास भवन का निर्माण,00

24	— वृहत् निर्माण कार्य	10000
		<u>योग 10000</u>

च-	औचित्य :	देहरादून के स्पोर्ट्स कालेज में महिला छात्रावास का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	10000
	योग (अंकों में) :	10000

----- 34 -----

क-	विभाग :	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
ख-	अनुदान संख्या :	12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए कैश विहीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति /स्मार्ट कार्ड योजना का प्रबन्धन
ड-	लेखाशीर्षक :	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,001-निदेशन तथा प्रशासन,05-चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्मार्ट कार्ड योजना का प्रबन्धन,00
		42 — अन्य व्यय 2500
		<u>योग</u> <u>2500</u>
च-	औचित्य :	राज्य सरकार के कर्मचारियों को कैश विहीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/ स्मार्ट कार्ड योजना लागू की जानी है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ-	(धनराशि हजार रु0 में)	
	आवर्तक :	0
	अनावर्तक :	2500
	योग (अंकों में) :	2500

----- 35 -----

क-	विभाग :	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
ख-	अनुदान संख्या :	12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
ग-	आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ-	विषय :	कैश विहीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति
ड-	लेखाशीर्षक :	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,800-अन्य व्यय,12-कैश विहीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति,00
		27 — चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति 10000
		<u>योग</u> <u>10000</u>

च- औचित्य :

राज्य कर्मचारियों को स्मार्ट कार्ड की सुविधा केश विहीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की योजना लागू की जानी है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 36 -----

क- विभाग :

होम्योपैथिक

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालय का सुदृढीकरण

ड.- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां,102-होम्योपैथी,91-जिला योजना,01-जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय का सुदृढीकरण

42	— अन्य व्यय	400
		<u>योग 400</u>

च- औचित्य :

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों का सुदृढीकरण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	400
योग (अंकों में) :	400

----- 37 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

असेवित दुर्गम स्थलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	चिकित्सा अधिकारी	22	8000-275-13500
2	फार्मासिस्ट	22	4500-125-7000

ड.- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्य-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,91-जिला योजना,03-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

01	— वेतन	2600
03	— महंगाई भत्ता	1950
06	— अन्य भत्ते	500
08	— कार्यालय व्यय	300
09	— विद्युत देय	150
10	— जलकर / जल प्रभार	30
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	160
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	160
26	— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	300
31	— सामग्री और सम्पूर्ति	300
39	— औषधि तथा रसायन	1500
48	— महंगाई वेतन	1300
		योग 9550

च- औचित्य :

राज्य के असेवित दुर्गम स्थलों में जनसामान्य को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 22 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु पदों का सृजन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की व्यवस्था की जानी है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	6810
अनावर्तक :	2740
योग (अंकों में) :	9550

----- 38 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

टैक्नीशियन, पंचकर्म सहायक एवं नर्सिंग हेतु प्रशिक्षण

ड.- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,05-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,101-आयुर्वेद,06-अन्य व्यय,00

12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	290
39	— औषधि तथा रसायन	200
42	— अन्य व्यय	100
		योग 790

च- औचित्य :

नये आयुर्वेदिक कालेजों के संचालन हेतु प्रशिक्षित टैक्नीशियन, पंचकर्म सहायक एवं नर्सज की जरूरत है जिन्हें प्रशिक्षित किये जाने हेतु प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	790
योग (अंकों में) :	790

----- 39 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

श्रीनगर मेडिकल कालेज के विभिन्न पदों का सृजन

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	8	8550-275-14600
2	सीनियर रेजीडेन्ट	10	10000-325-15200
3	स्वच्छक/ स्वीपर	17	2550-55-3200
4	स्टाफ नर्स	125	5000-150-8000
5	सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन	5	4500-125-7000
6	लाउन्डी सुपर वाईजर	1	4500-125-7000
7	डार्क रूम असिस्टेन्ट	6	3050-75-4590
8	वाई व्वाय	55	2550-55-3200
9	लैबोरेट्री असिस्टेन्ट/ टैक्नीशियन	33	4500-125-7000
10	लैब अटेन्डेन्ट	13	2610-60-3540

ड- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,05-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान,105-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,04-मेडिकल कालेज,01-श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना

01	— वेतन	1
03	— महंगाई भत्ता	1
06	— अन्य भत्ते	1
48	— महंगाई वेतन	1

योग 4

च- औचित्य :

एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	4
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	4

----- 40 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन

ड.- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,06-लोक स्वास्थ्य,101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण,99-राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन,00

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	72000
	योग	72000

च- औचित्य :

राज्य सरकार के साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मोड) के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संचालित किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	72000
योग (अंकों में) :	72000

----- 41 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

शव विच्छेदन गृहों का निर्माण

ड.- लेखाशीर्षक :

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें,110-अस्पताल तथा औषधालय,03-शव विच्छेदन गृहों का निर्माण,00

24	— वृहत् निर्माण कार्य	24000
	योग	24000

च- औचित्य : पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि होने के पश्चात न्यायायिक प्रक्रिया के अधीन शवविच्छेदन किया जाना आवश्यक होता है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	24000
योग (अंकों में) :	24000

----- 42 -----

क- विभाग : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ख- अनुदान संख्या : 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत

घ- विषय : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण

ड- लेखाशीर्षक : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्य,103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,91-जिला योजना,02-नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (सामान्य) (विस्तार अंश)

24	— वृहत् निर्माण कार्य	20000
		योग 20000

च- औचित्य : प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	20000
योग (अंकों में) :	20000

----- 43 -----

क- विभाग : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ख- अनुदान संख्या : 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत

घ- विषय : दो नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

ड- लेखाशीर्षक : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्य,104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,03-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना,02-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश)

च- औचित्य :

ग्रामीण, पर्वतीय, दुर्गम क्षेत्रों में विशेष चिकित्सा उपचार तथा निदान सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु दो नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण का लक्ष्य है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	15000
योग (अंकों में) :	15000

----- 44 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

असेवित दुर्गम स्थलों में एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना

ड- लेखाशीर्षक :

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें,110-अस्पताल तथा औषधालय,07-एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण,00

च- औचित्य :

असेवित दुर्गम स्थलों में एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	
योग (अंकों में) :	127500

----- 45 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

दो ब्लड बैंकों के भवनों का निर्माण

ड- लेखाशीर्षक :

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें,110-अस्पताल तथा औषधालय,09-ब्लड बैंक की स्थापना/निर्माण कार्य,00

च- औचित्य :

राज्य में दो नये ब्लड बैंकों के भवनों का निर्माण कराया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	4000
योग (अंकों में) :	4000

----- 46 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण

ड- लेखाशीर्षक :

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्यें,110-अस्पताल तथा औषधालय,91-जिला योजना,01-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण

24	— वृहत् निर्माण कार्य	12500
	योग	12500

च- औचित्य :

वर्तमान में किराये पर चल रहे एलोपैथिक चिकित्सालयों हेतु भवनों का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	12500
योग (अंकों में) :	12500

----- 47 -----

क- विभाग :

होम्योपैथिक

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण

ड- लेखाशीर्षक :

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्यें,800-अन्य व्यय,91-जिला योजना,03-होम्योपैथिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण

च- औचित्य :

जिला योजना के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	4600
योग (अंकों में) :	4600

----- 48 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

परिवार कल्याण उपकेन्द्रों का भवन निर्माण (राज्य सेक्टर)

ड- लेखाशीर्षक :

4211-परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,00-,101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा,03-उप केन्द्रों के भवन का निर्माण,00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 280000

योग 280000

च- औचित्य :

मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं को सुदृढ करने हेतु परिवार कल्याण उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	
योग (अंकों में) :	280000

----- 49 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ख- अनुदान संख्या :

12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

30 परिवार कल्याण उपकेन्द्रों का भवन निर्माण(जिला योजना)

ड- लेखाशीर्षक :

4211-परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,00-,101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा,91-उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना),00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 20000

योग 20000

च- औचित्य : ग्रामीण अंचलों में मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं को सुदृढ किये जाने हेतु 30 परिवार कल्याण उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	20000
योग (अंकों में) :	20000

----- 50 -----

क- विभाग :	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
ख- अनुदान संख्या :	12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	ए०एन०एम०टी०सी० का भवन निर्माण
ड- लेखाशीर्षक :	4211-परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,00-,103-मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य,03-ए०एन०एम०टी०सी० का भवन निर्माण,00
	24 — वृहत् निर्माण कार्य
	10000
	<u>योग 10000</u>
च- औचित्य :	राज्य में मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु हरिद्वार तथा हल्द्वानी में ए०एन०एम० टी०सी० के भवन का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु० में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 51 -----

क- विभाग :	सूचना विभाग
ख- अनुदान संख्या :	14 सूचना
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति
ड- लेखाशीर्षक :	2220-सूचना तथा प्रसार,60-अन्य,800-अन्य व्यय,06-श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति,00
	42 — अन्य व्यय
	500
	<u>योग 500</u>

च- औचित्य :

उत्तराखण्ड में पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	500
योग (अंकों में) :	500

----- 52 -----

क- विभाग :

सूचना विभाग

ख- अनुदान संख्या :

14 सूचना

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनेत्तर

घ- विषय :

प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन

ड.- लेखाशीर्षक :

2220-सूचना तथा प्रसार,60-अन्य,800-अन्य व्यय,07-प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन,00

42	— अन्य व्यय	1500
		<u>योग</u>
		<u>1500</u>

च- औचित्य :

प्रदेश मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष को कार्यालय भवन,फर्नीचर, उपकरणों आदि की अन्य व्यवस्था की जानी है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	1500
योग (अंकों में) :	1500

----- 53 -----

क- विभाग :

सूचना विभाग

ख- अनुदान संख्या :

14 सूचना

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

सूचना निदेशालय का भवन निर्माण

ड.- लेखाशीर्षक :

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,60-अन्य,051-निर्माण,03-सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था,00

24	— वृहत् निर्माण कार्य	5000
		<u>योग</u>
		<u>5000</u>

च- औचित्य :

वर्तमान में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग का निदेशालय किराये के भवन में चल रहा है। विभागीय निदेशालय को स्वयं के उपयुक्त भवन में स्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	5000
योग (अंकों में) :	5000

----- 54 -----

क- विभाग :

समाज कल्याण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

15 कल्याण योजनायें

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक, परा स्नातक, तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स हेतु मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना

ड- लेखाशीर्षक :

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,03-पिछड़े वर्गों का कल्याण,277-शिक्षा,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ,01-अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति

21	— छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1650
42	— अन्य व्यय	50
		<u>योग</u> <u>1700</u>

च- औचित्य :

अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत सहायतित योजना के अन्तर्गत स्नातक एवं परा स्नातक स्तरीय तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स हेतु मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति दिया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	1700
योग (अंकों में) :	1700

----- 55 -----

क- विभाग :

समाज कल्याण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

15 कल्याण योजनायें

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

ड.- लेखाशीर्षक :

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,03-पिछड़े वर्गों का कल्याण,277-शिक्षा,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ,02-अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति

21	— छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	3493
42	— अन्य व्यय	70
		<hr/>
		योग 3563

च- औचित्य :

भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	3563
योग (अंकों में) :	3563

----- 56 -----

क- विभाग :

महिला एवं बाल विकास विभाग

ख- अनुदान संख्या :

15 कल्याण योजनायें

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

बाल कल्याण निधि की स्थापना।

ड.- लेखाशीर्षक :

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,02-समाज कल्याण,102-बाल कल्याण,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना,22-बाल कल्याण निधि की स्थापना

42	— अन्य व्यय	5000
		<hr/>
		योग 5000

च- औचित्य :

बाल कल्याण परिषद की विविध गतिविधियों के आयोजन वित्त पोषण हेतु बाल कल्याण निधि की स्थापना की आवश्यकता है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	5000
योग (अंकों में) :	5000

----- 57 -----

क- विभाग :

महिला एवं बाल विकास विभाग

ख- अनुदान संख्या :

15 कल्याण योजनायें

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

देहरादून में 0-10 वर्ष आयु वर्ग के निराश्रित बालक/बालिकाओं हेतु राजकीय शिशु सदन की स्थापना।

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	अधीक्षिका	1	5000-150-8000
2	नर्स/मैटर्न	1	4500-125-7000
3	काउन्सलर/क्लीनिकल साइकलोजिस्ट	1	4500-125-7000
4	नर्सरी अध्यापिका	1	4500-125-7000
5	प्रवर सहायक	1	4000-100-6000
6	कनिष्ठ लिपिक/स्टोर कीपर	1	3050-75-4590

ड.- लेखाशीर्षक :

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,02-समाज कल्याण,102-बाल कल्याण,07-संस्थानों/गृहों का संचालन,00

01	— वेतन	2000
03	— महंगाई भत्ता	1500
06	— अन्य भत्ते	220
48	— महंगाई वेतन	1000

योग 4720

च- औचित्य :

देहरादून मुख्यालय में 0-10 वर्ष आयु वर्ग के निराश्रित बालक/बालिकाओं को पैतृक वातावरण दिये जाने हेतु 50 बच्चों की क्षमता वाले राजकीय शिशु सदन की स्थापना की जानी है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की व्यवस्था की जानी है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	4720
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	4720

58

क- विभाग :

महिला एवं बाल विकास विभाग

ख- अनुदान संख्या :

15 कल्याण योजनायें

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

पौड़ी में महिला छात्रावास का निर्माण

ड.- लेखाशीर्षक :

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,02-समाज कल्याण,103-महिला कल्याण,07-पौड़ी में महिला छात्रावास का निर्माण,00

24	— वृहत् निर्माण कार्य	1476
----	-----------------------	------

योग 1476

च- औचित्य :

पौड़ी में महिला उत्थान योजना के अन्तर्गत महिला छात्रावास के अवशेष कार्यों को पूर्ण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	1476
योग (अंकों में) :	1476

----- 59 -----

क- विभाग :	श्रम एवं सेवायोजन
ख- अनुदान संख्या :	16 श्रम और रोजगार
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	दो नए कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, भगवानपुर व सिडकुल जनपद हरिद्वार की स्थापना

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	चिकित्साधिकारी	3	8000-275-13500
2	फार्मासिस्ट (एलोपैथिक)	3	4500-125-7000
3	वरिष्ठ सहायक	1	4000-100-6000
4	कनिष्ठ सहायक	2	3050-75-4590
5	ए०एन०एम०/प्रसाविका	3	3200-85-4900
6	चतुर्थ श्रेणी	8	2550-55-3200

ड.- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना,01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें,04-क्षेत्रीय कार्यालय (88% केन्द्रांश) अधिष्ठान श्रम विभाग द्वारा

01	— वेतन	1000
03	— महंगाई भत्ता	350
04	— यात्रा व्यय	10
06	— अन्य भत्ते	100
07	— मानदेय	5
08	— कार्यालय व्यय	20
09	— विद्युत देय	15
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
13	— टेलीफोन पर व्यय	6
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	100
19	— विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	15
27	— चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	20
39	— औषधि तथा रसायन	800
40	— औषद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	100
42	— अन्य व्यय	15
48	— महंगाई वेतन	500

योग	3271
------------	-------------

च— औचित्य :

नई औद्योगिक नीति लागू होने पर राज्य के दो जनपदों हरिद्वार व उधमसिंह नगर में वृहद स्तर पर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हो रही है। भारत सरकार द्वारा भगवानपुर व सिडकुल हरिद्वार क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके आश्रितों जो उक्त योजना से आच्छादित हैं, को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु इन क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू किये जाने के उद्देश्य से दो नये आषधालयों की स्थापना किये जाने हेतु आवश्यक व्ययों हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से इस हेतु निम्न धनराशि की व्यवस्था की जानी है।

छ— (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक :	2080
अनावर्तक :	1191
योग (अंकों में) :	3271

----- 60 -----

क— विभाग :

श्रम एवं सेवायोजन

ख— अनुदान संख्या :

16 श्रम और रोजगार

ग— आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ— विषय :

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

ड.— लेखाशीर्षक :

2230-श्रम तथा रोजगार,01-श्रम,103-सामान्य श्रम कल्याण,01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें,02-असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (75 प्रतिशत के0स0)

08	— कार्यालय व्यय	15
11	— लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15
19	— विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50
42	— अन्य व्यय	55910
46	— कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100
47	— कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10

योग	56100
------------	--------------

च— औचित्य :

भारत सरकार द्वारा सभी प्रदेशों के सभी जिलों में असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों को लाभान्वित किया जाना है जो बीपीएल राशन कार्डधारक हैं। वर्तमान में प्रदेश के दो जनपद देहरादून एवं उधम सिंह नगर में यह योजना लागू की जानी प्रस्तावित है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ— (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	15
अनावर्तक :	56085
योग (अंकों में) :	56100

----- **61** -----

क— विभाग :

सहकारिता विभाग

ख— अनुदान संख्या :

18 सहकारिता

ग— आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ— विषय :

महिला बचत समूह का गठन एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान

ड.— लेखाशीर्षक :

2425-सहकारिता,00-,107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता,91-सहकारी ऋण योजना,03-महिला बचत समूह गठित करने एवं प्रशिक्षण के लिए अनुदान

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	262
----	----------------------------------	-----

योग	262
------------	------------

च— औचित्य :

महिला बचत समूह गठित करने एवं प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जानी है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ— (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	262
योग (अंकों में) :	262

----- **62** -----

क— विभाग :

सहकारिता विभाग

ख— अनुदान संख्या :

18 सहकारिता

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ को वित्तीय सहायता

ड- लेखाशीर्षक :

2425-सहकारिता,00-,800-अन्य व्यय,11-राज्य सहकारी विपणन संघ,00

20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10000

योग 10000

च- औचित्य :

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि० की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन का व्यय भार वहन कर सकें। कर्मिकों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय का भार शासन द्वारा वहन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक : 0
अनावर्तक : 10000
योग (अंकों में) : 10000

----- 63 -----

क- विभाग :

सहकारिता विभाग

ख- अनुदान संख्या :

18 सहकारिता

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

क्रय विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता

ड- लेखाशीर्षक :

2425-सहकारिता,00-,800-अन्य व्यय,21-सहकारी क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता,00

20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 5221

योग 5221

च- औचित्य :

जिला सहायक निबन्धकों द्वारा सहकारी क्रय विक्रय योजना के अन्तर्गत पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों का जीर्णोद्धार /मरम्मत एवं बाउन्डीबाल का कार्य कराया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु० में)

आवर्तक : 0
अनावर्तक : 5221
योग (अंकों में) : 5221

----- 64 -----

क- विभाग :

सहकारिता विभाग

ख- अनुदान संख्या :

18 सहकारिता

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय : जिला सहकारी बैंकों का कम्प्यूटराईजेशन

ड- लेखाशीर्षक : 2425-सहकारिता,00-,800-अन्य व्यय,22-जिला सहकारी बैंकों का कम्प्यूटराईजेशन,00

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10000
	योग	10000

च- औचित्य : जिला सहकारी बैंकों के कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 65 -----

क- विभाग : सहकारिता विभाग

ख- अनुदान संख्या : 18 सहकारिता

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत

घ- विषय : उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ को भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

ड- लेखाशीर्षक : 2425-सहकारिता,00-,800-अन्य व्यय,24-उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 को भवन निर्माण हेतु सहायता,00

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10000
	योग	10000

च- औचित्य : उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 का अपना भवन न होने के कारण किराये के भवन में कार्यालय चल रहा है। उक्त का अपना कार्यालय भवन बनाया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की व्यवस्था की जानी है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 66 -----

क- विभाग : सहकारिता विभाग

ख- अनुदान संख्या : 18 सहकारिता

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर : आयोजनागत

घ- विषय : महिला बचत समूह को मार्जिन मनी

ड.- लेखाशीर्षक :	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,00-,200-अन्य निवेश,05-महिला बचत समूहों को मार्जिन मनी,00		
	30	— निवेश/ऋण	100
			<u>योग</u> <u>100</u>
च- औचित्य :	महिला बचत समूहों द्वारा अपने सदस्यों को जमा धनराशि की तीन गुना धनराशि का ऋण प्रदान किया जाता है। उक्त महिला समूहों को और सक्रिय करने हेतु मार्जिन मनी की व्यवस्था की जानी है।		
छ- (धनराशि हजार रु0 में)			
आवर्तक :		0	
अनावर्तक :		100	
योग (अंकों में) :		100	

----- 67 -----

क- विभाग :	पंचायती राज		
ख- अनुदान संख्या :	19	ग्राम्य विकास	
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनागत	
घ- विषय :		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)	
ड.- लेखाशीर्षक :	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,00-,101-पंचायती राज,14-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0),00		
	42	— अन्य व्यय	489000
			<u>योग</u> <u>489000</u>
च- औचित्य :	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के अन्तर्गत तीन जनपदों टिहरी, चमोली एवं चम्पावत हेतु भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होना हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।		
छ- (धनराशि हजार रु0 में)			
आवर्तक :		0	
अनावर्तक :		489000	
योग (अंकों में) :		489000	

----- 68 -----

क- विभाग :	ग्राम्य विकास विभाग		
ख- अनुदान संख्या :	19	ग्राम्य विकास	
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनागत	
घ- विषय :		हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना (लीडर परियोजना)	

ड.- लेखाशीर्षक :

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,00-,102-सामुदायिक विकास,97-आईफेड बाह्य सहायतित योजना,02-लीडर परियोजना (शत प्रतिशत बाह्य सहायतित)

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2156
	योग	2156

च- औचित्य :

हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना द्वारा पर्वतीय खेती करने की प्रणाली में उत्तरोत्तर वृद्धि लाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जानी है। यह योजना पूर्णतः आईफेड सहायतित है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	2156
योग (अंकों में) :	2156

----- 69 -----

क- विभाग :

सिंचाई

ख- अनुदान संख्या :

20 सिंचाई एवं बाढ़

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनेत्तर

घ- विषय :

हरिद्वार जनपद की नहरों का अनुरक्षण

ड.- लेखाशीर्षक :

2701-मध्यम सिंचाई,14-हरिद्वार जनपद की नहरों का अनुरक्षण,101-रख-रखाव और मरम्मत,02-अन्य रख-रखाव,01-अनुरक्षण कार्य

29	— अनुरक्षण	4500
	योग	4500

च- औचित्य :

परिसम्पत्तियों के विभाजन के समय जनपद हरिद्वार की 28 नहरों का आवंटन उत्तराखण्ड को हो जाने के उपरान्त उनका सामान्य अनुरक्षण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की व्यवस्था की जानी है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	4500
योग (अंकों में) :	4500

----- 70 -----

क- विभाग :

सिंचाई

ख- अनुदान संख्या :

20 सिंचाई एवं बाढ़

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनेत्तर

घ- विषय :

हरिद्वार की नहरों की विशेष मरम्मत

ड.- लेखाशीर्षक :	2701-मध्यम सिंचाई,14-हरिद्वार जनपद की नहरों का अनुरक्षण,101-रख-रखाव और मरम्मत,02-अन्य रख-रखाव,02-विशेष मरम्मत		
	29	— अनुरक्षण	3000
			<u>योग</u> <u>3000</u>
च- औचित्य :	परिसम्पत्तियों के विभाजन में प्राप्त हरिद्वार की नहरों की विशेष मरम्मत की जानी है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।		
छ- (धनराशि हजार रु0 में)			
आवर्तक :		0	
अनावर्तक :		3000	
योग (अंकों में) :		3000	

----- 71 -----

क- विभाग :	लोक निर्माण विभाग		
ख- अनुदान संख्या :	22	लोक निर्माण कार्य	
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनागत	
घ- विषय :		लोक निर्माण विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का रख-रखाव	
ड.- लेखाशीर्षक :	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,80- सामान्य,800-अन्य भवन,09-लोक निर्माण (नए कार्य),00		
	24	— वृहत् निर्माण कार्य	2000
			<u>योग</u> <u>2000</u>
च- औचित्य :	लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण आवासीय / अनावासीय भवनों की जरूरत है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।		
छ- (धनराशि हजार रु0 में)			
आवर्तक :		0	
अनावर्तक :		2000	
योग (अंकों में) :		2000	

----- 72 -----

क- विभाग :	लोक निर्माण विभाग		
ख- अनुदान संख्या :	22	लोक निर्माण कार्य	
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :		आयोजनागत	
घ- विषय :		पूल्ड आवास योजना	

ड.- लेखाशीर्षक :	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,80- सामान्य,800-अन्य भवन,13-प्लड आवास योजना (नये कार्य),00
	24 — वृहत् निर्माण कार्य
	2000
	<u>योग</u> <u>2000</u>
च- औचित्य :	अधिकारियों/कर्मचारियों की आवासीय सुविधा सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्लड हाउस का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	2000
योग (अंकों में) :	2000

----- 73 -----

क- विभाग :	लोक निर्माण विभाग
ख- अनुदान संख्या :	22 लोक निर्माण कार्य
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	लोक निर्माण विभाग की जिला तथा अन्य सड़कें
ड.- लेखाशीर्षक :	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय,04-जिला तथा अन्य सड़के,800-अन्य व्यय,03-राज्य सेक्टर,02-नया निर्माण कार्य
	24 — वृहत् निर्माण कार्य
	20000
	<u>योग</u> <u>20000</u>
च- औचित्य :	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को सड़क मार्गों से जोड़ा जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	20000
योग (अंकों में) :	20000

----- 74 -----

क- विभाग :	लोक निर्माण विभाग
ख- अनुदान संख्या :	22 लोक निर्माण कार्य
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को अंशपूँजी
ड.- लेखाशीर्षक :	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय,80-सामान्य,190-सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश,03-उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को अंशपूँजी,00

च- औचित्य :

शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम का गठन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 75 -----

क- विभाग :

नागरिक उडडयन विभाग

ख- अनुदान संख्या :

24 परिवहन

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

जौलीग्रॉट हवाई अड्डे में हेलीपैड एवं हैंगर का निर्माण

ड- लेखाशीर्षक :

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय,02-विमान पत्तन,800-अन्य व्यय,08-देहरादून में हेलीपैड एवं हैंगर का निर्माण,00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 10000

योग 10000

च- औचित्य :

जौलीग्रॉट हवाई अड्डे के रनवे के विस्तारीकरण के साथ ही राज्य के नये विमानों को सुरक्षा की दृष्टि से वर्षा तथा धूप से बचाव हेतु हेलीपैड एवं हैंगर का निर्माण किया जाना आवश्यक है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से इस हेतु निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 76 -----

क- विभाग :

परिवहन

ख- अनुदान संख्या :

24 परिवहन

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

नैनीसैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ का विस्तारीकरण

ड- लेखाशीर्षक :

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय,02-विमान पत्तन,800-अन्य व्यय,99-नैनीसैनी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण,00

च- औचित्य :	राज्य में विमान गतिविधियों के विस्तार एवं पर्यटन विकास को दृष्टिगत रखते हुए नैनीसैनी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु० में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	300000
योग (अंकों में) :	300000

77

क- विभाग :	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
ख- अनुदान संख्या :	25 खाद्य
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनेत्तर
घ- विषय :	कुमाँ संभाग के वित्त नियंत्रक खाद्य तथा सहायक आयुक्त खाद्य हेतु वाहन क्रय
ड- लेखाशीर्षक :	2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण,01-खाद्य,001-निदेशन तथा प्रशासन,03-अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति),00
	14 — कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय 900
	<u>योग 900</u>
च- औचित्य :	सहायक आयुक्त खाद्य कुमाँ सम्भाग को निरीक्षण आदि शासकीय कार्य करने पड़ते हैं। वित्त नियंत्रक खाद्य एवं सहायक आयुक्त खाद्य कुमाँ सम्भाग हेतु वाहन क्रय किये जाने हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु० में)	
आवर्तक :	900
अनावर्तक :	0
योग (अंकों में) :	900

78

क- विभाग :	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
ख- अनुदान संख्या :	25 खाद्य
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	गैस गोदामों का निर्माण
ड- लेखाशीर्षक :	4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय,02-भंडारण तथा भण्डागारण,800-अन्य व्यय,07-गैस गोदामों का निर्माण,00

च- औचित्य :

कुमाऊँ/ गढ़वाल मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु स्वीकृत गैस एजेन्सियों हेतु गोदामों एवं उनके कार्यालय का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 79 -----

क- विभाग :

पर्यटन

ख- अनुदान संख्या :

26 पर्यटन

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

होटल मैनेजमेन्ट सोसाइटी को छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान

ड- लेखाशीर्षक :

3452-पर्यटन,80-सामान्य,001-निदेशन तथा प्रशासन,07-होटल मैनेजमेन्ट सोसाइटी को छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान,00

20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10000

योग 10000

च- औचित्य :

देश के विभिन्न राज्यों से छात्र-छात्रायें अध्ययन हेतु आते हैं। संस्थान का स्वयं का छात्रावास न होने के कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है अतः उनके लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 80 -----

क- विभाग :

पर्यटन

ख- अनुदान संख्या :

26 पर्यटन

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

नये पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण

ड.- लेखाशीर्षक :	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,80-सामान्य,104-संवर्धन तथा प्रचार,04-राज्य सेक्टर,49-पर्यटन विकास की नई योजनाएँ
	24 — वृहत् निर्माण कार्य
	70000
	<u>योग 70000</u>
च- औचित्य :	पर्यटन विभाग द्वारा नये पर्यटन स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	70000
योग (अंकों में) :	70000

----- 81 -----

क- विभाग :	वन
ख- अनुदान संख्या :	27 वन
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य
ड.- लेखाशीर्षक :	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन,01-वानिकी,800-अन्य व्यय,41-वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य,00
	20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता
	16000
	<u>योग 16000</u>
च- औचित्य :	राज्य की महिलाओं द्वारा वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।
छ- (धनराशि हजार रु0 में)	
आवर्तक :	0
अनावर्तक :	16000
योग (अंकों में) :	16000

----- 82 -----

क- विभाग :	वन
ख- अनुदान संख्या :	27 वन
ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :	आयोजनागत
घ- विषय :	एन0टी0एफ0पी0 का सचिवालय खोला जाना
ड.- लेखाशीर्षक :	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन,01-वानिकी,800-अन्य व्यय,42-एन0टी0एफ0पी0 का सचिवालय खोला जाना,00

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10000
	योग	10000

च- औचित्य :

गैर प्रकाष्ठीय वनोपज के क्षेत्र में हो रहे विकास की जानकारी हेतु एन0टी0एफ0पी0 का सचिवालय खोला जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 83 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	चिकित्सा अधिकारी	2	8000-275-13500
1	फार्मासिस्ट	2	4500-125-7000

ड- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,03-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना,00

01	— वेतन	192
03	— महंगाई भत्ता	108
06	— अन्य भत्ते	106
08	— कार्यालय व्यय	10
09	— विद्युत देय	24
10	— जलकर / जल प्रभार	2
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	240
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	72
26	— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	80
31	— सामग्री और सम्पूर्ति	10
39	— औषधि तथा रसायन	80
48	— महंगाई वेतन	150

योग 1114

च- औचित्य :

राज्य के असेवित दुर्गम स्थलों में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में जनसामान्य को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु 2 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जानी है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	638
अनावर्तक :	476
योग (अंकों में) :	1114

----- 84 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन (पीपीपी मोड, एससीसीपी)

ड.- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,06- लोक स्वास्थ्य,101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण,99-राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी,00

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	4000
	योग	4000

च- औचित्य :

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी के कारण चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्राईवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी मोड) द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संचालित किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	4000
योग (अंकों में) :	4000

----- 85 -----

क- विभाग :

सहकारिता

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

महिला बचत समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण के लिए अनुदान

ड.- लेखाशीर्षक :

2425-सहकारिता,00-,107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता,02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,02-महिला बचत समूह गठित करने एवं प्रशिक्षण के लिए अनुदान

20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 5047

योग 5047

च- औचित्य :

अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में महिला बचत समूह गठित किये जाने एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 5047

योग (अंकों में) : 5047

----- 86 -----

क- विभाग :

सहकारिता

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

क्रय विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता

ड- लेखाशीर्षक :

2425-सहकारिता,00-,800-अन्य व्यय,05-सहकारी क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता,00

20 — सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 588

योग 588

च- औचित्य :

जिला सहायक निबन्धकों द्वारा सहकारी क्रय विक्रय योजना के अन्तर्गत पैक्स से क्षतिग्रस्त गोदामों का जीणोद्धार / मरम्मत एवं बाउन्डीबाल का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक : 0

अनावर्तक : 588

योग (अंकों में) : 588

----- 87 -----

क- विभाग :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण

ड- लेखाशीर्षक :

4211-परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,00-,101-ग्रामीण परिवार कल्याण योजना,03-उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण,00

24 — वृहत् निर्माण कार्य 42500

योग 42500

च- औचित्य :

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं को सुदृढ करने हेतु 34 परिवार कल्याण उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	42500
योग (अंकों में) :	42500

----- 88 -----

क- विभाग :

सहकारिता

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

महिला बचत समूहों को मार्जिन मनी

ड- लेखाशीर्षक :

4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय,00-00,200-अन्य निवेश,03-महिला बचत समूहों को मार्जिन मनी,00

30	— निवेश/ऋण	40
		<u>योग</u> 40

च- औचित्य :

महिला बचत समूहों के गठन से महिलाओं में जमा की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। महिला समूहों द्वारा अपने सदस्यों को जमा धनराशि की तीन गुना धनराशि का ऋण प्रदान किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	40
योग (अंकों में) :	40

----- 89 -----

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

लोक निर्माण विभाग की जिला तथा अन्य सड़कें (एससीसीपी)

ड- लेखाशीर्षक :

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय,04- जिला तथा अन्य सड़कें,800-अन्य व्यय,02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,02-नया निर्माण कार्य

24	— वृहत् निर्माण कार्य	10000
		<u>योग</u> 10000

च- औचित्य :

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण एवं कच्चे मार्गों का डामरीकरण कराया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000

----- 90 -----

क- विभाग :

पर्यटन

ख- अनुदान संख्या :

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

पर्यटन विभाग द्वारा नये पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण

ड- लेखाशीर्षक :

5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय,80- सामान्य,104-संवर्धन तथा प्रचार,04- पर्यटन विकास की नई योजनाएं (राज्य सेक्टर),49-पर्यटन विकास की नई योजनाएँ

24	— वृहत् निर्माण कार्य	20000
		<u>योग 20000</u>

च- औचित्य :

पर्यटन विभाग द्वारा नये पर्यटन स्थलों का मास्टर प्लान के आधार पर सौन्दर्यीकरण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	20000
योग (अंकों में) :	20000

----- 91 -----

क- विभाग :

स्वास्थ्य

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

दो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु चार पदों का सृजन

क्रम संख्या	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	चिकित्सा अधिकारी	2	8000-275-13500
2	फार्मासिस्ट	2	4500-125-7000

ड- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति,796-जनजातिय क्षे0 उप योजना,05-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना,00

01	— वेतन	192
03	— महंगाई भत्ता	108
06	— अन्य भत्ते	106
08	— कार्यालय व्यय	10
09	— विद्युत देय	24
10	— जलकर / जल प्रभार	2
12	— कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40
16	— व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	240
17	— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	72
26	— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	40
31	— सामग्री और सम्पूर्ति	10
39	— औषधि तथा रसायन	80
48	— महंगाई वेतन	150
		योग
		1074

च- औचित्य :

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत जनसामान्य को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु दो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए पदों का सृजन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	638
अनावर्तक :	436
योग (अंकों में) :	1074

----- 92 -----

क- विभाग :

स्वास्थ्य

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन (पीपीपी मोड, टीएसपी)

ड- लेखाशीर्षक :

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,06- लोक स्वास्थ्य,101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण,99-राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी,00

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	24000
		योग
		24000

च- औचित्य :

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सा हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी के कारण चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने में कठिनाईयों का सामना कर पड़ रहा है। राज्य सरकार के साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर प्राईवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी मोड) के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	24000
योग (अंकों में) :	24000

----- 93 -----

क- विभाग :

सहकारिता

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

क्रय विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता

ड- लेखाशीर्षक :

2425-सहकारिता,00-,796-जनजाति क्षेत्र उप योजना,06-सहकारी क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता,00

20	— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	482
	योग	482

च- औचित्य :

जिला सहायक निबन्धकों द्वारा सहकारी क्रय विक्रय योजनान्तर्गत पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों का जीणोद्धार/मरम्मत एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के मध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	482
योग (अंकों में) :	482

----- 94 -----

क- विभाग :

होम्योपैथ

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण

ड- लेखाशीर्षक :

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पश्चात्य चिकित्सा पद्धति,796-जनजाति क्षेत्र उप योजना,91-जिला योजना,08-होम्योपैथिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण

24	— वृहत् निर्माण कार्य	600
		<u>योग 600</u>

च- औचित्य :

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना के तहत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	600
योग (अंकों में) :	600

----- 95 -----

क- विभाग :

लोक निर्माण विभाग

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

लोक निर्माण विभाग की जिला तथा अन्य सड़कें (टीएसपी)

ड- लेखाशीर्षक :

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय,04- जिला तथा अन्य सड़कें,796- जनजातिय क्षेत्र उप योजना,01-नया निर्माण कार्य,00

24	— वृहत् निर्माण कार्य	5000
		<u>योग 5000</u>

च- औचित्य :

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत मोटर मार्गों/ सेतुओं का निर्माण एवं कच्चे मार्गों का डामरीकरण किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ- (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	5000
योग (अंकों में) :	5000

----- 96 -----

क- विभाग :

पर्यटन

ख- अनुदान संख्या :

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

ग- आयोजनागत/आयोजनेत्तर :

आयोजनागत

घ- विषय :

पर्यटन विकास की नई परियोजनाएँ

ड- लेखाशीर्षक :

5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय,80- सामान्य,796-जनजाति क्षेत्र उप योजना,02-अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,01-पर्यटन विकास की नई परियोजनाएँ

च— औचित्य :

उत्तराखण्ड पर्यटन के मास्टर प्लान में आधार भूत सुविधाओं का विकास किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में इस हेतु नई मांग के माध्यम से निम्न धनराशि की आवश्यकता है।

छ— (धनराशि हजार रु0 में)

आवर्तक :	0
अनावर्तक :	10000
योग (अंकों में) :	10000
